(278)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.5(8) नविवि/99/

दिनांक 8 नवम्बर, 2001

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.5.2001 के द्वारा कृषि भूमि के नियमन से प्राप्त राशि मे से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग सम्बन्धित संस्था द्वारा विकास कार्यो पर किये जाने एवं शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराये जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि सम्बन्धित संस्थाओं को प्राप्त होने वाले 60 प्रतिशत हिस्सा राशि में से 5 प्रतिशत राशि 'नगरीय पुनर्नवीनीकरण निधि' (Urban Renewal Fund) में संस्थाओं द्वारा निम्नांकित मद में स्थानान्तरित की जायेगी:-

8229 – विकास तथा कल्याण निधि
200 – अन्य विकास तथा कल्याण निधि
(005) – नगरीय पुनर्नविनीकरण निधि

इसके संचालन हेतु नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किये जावगें। यह आदेश वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति अन्तर्विभागीय क्रमांक 2726 दिनांक 25.10.2001 एवं वित्त (बजट) विभाग की सहमति अन्तर्विभागीय क्रमांक 6091 दिनांक 5.11.2001 से जारी किये जा रहे है।

(जी.एस.संधु)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव-प्रथम, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, वित्तमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, राजस्व सचिव, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, जयपुर
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. समस्त संभागीय आयुक्त
11. समस्त जिला कलक्टर
12. सचिव, समस्त नगरीय विकास न्यास
13. निदेशक,स्थानीय निकायं विभाग कृपया समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए

8.11.01

उप शासन सचिव